


| तारीख हुक्म | <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बृजेन्द्रसिंह बनाम प्राधिकृत अधिकारी अपील संख्या 142/2017 (जीसीएमएस नम्बर 2017/00144)</p> | <p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
|-------------|--|---|
| 06.07.22 | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे हैं और आज भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त, जयपुर। </p> | |